

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2011—कार्तिक 27, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-9-2010-एक (1) 2219.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9/2010/एक (1)-1506 दिनांक 21 जुलाई, 2011 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक “संशोधन” में, खण्ड ख में, उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(दो) भाग (इ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“1. आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-9-2010-एक (1) 2220.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-9-2010-एक (1), दिनांक 18 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal the 18th November 2011

No. F-1-09-2010-One-(I) 2219.—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following amendment in this department's Notification No. F. 1-09-2010-One (1) 1506 dated 21st July, 2011 which was published in the Madhya Pradesh Gazette on the same date, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, under the heading "AMENDMENT", in clause (b), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(ii) in part (C), the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"1. Commissioner, New and Renewable Energy."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.